

न्यायालय तहसीलदार मसूदा जिला अजमेर

(प्रकरण संख्या 06/2022)

थान सरकार जरिए पटवारी हल्का कानाखेडा V/S सुवा पुत्र लाडू जाति मेरात निवासी कानाखेडा

भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट

—:निर्णय:—

दिनांक 28-01-2022

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित। मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का कानाखेडा द्वारा सम्वत 2078 में ग्राम कानाखेडा की भूमि खसरा नंबर 631 कुल 0.4530 हेक्टेयर किस्म भूमि रास्ता में से 0.0243 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थी सुवा पुत्र लाडू जाति मेरात निवासी कानाखेडा द्वारा अवैध रूप से हल चलाकर अतिचार किए जाने पर अप्रार्थी के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई। प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी का भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस दिनांक 28-01-2022 को मुकाम मसूदा पर उपस्थित होने बाबत जारी किया गया।

अप्रार्थी ने नोटिस के जवाब में अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। भूमि नियमन योग्य नहीं है। मैने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कोई ठोस सबूत एवं दस्तावेज पेश नहीं किए एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार किया। भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड अनुसार सिवायचक खाते में दर्ज है। अप्रार्थी बतौर अतिकर्मी उक्त भूमि पर काबिज है।

अतः अप्रार्थी सुवा पुत्र लाडू जाति मेरात निवासी कानाखेडा को तहसील मसूदा के ग्राम कानाखेडा के खसरा नम्बर 631 कुल 0.4530 हेक्टेयर किस्म भूमि रास्ता में से 0.0243 हैक्टेयर भूमि पर किए गए नाजायज कब्जे/काशत के लिए अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते हैं कि अप्रार्थी को उक्त भूमि में से बेदखल किया जावे एवं आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान .25 अर्थात् राउण्ड आफ में राशि रुपये 50/- बतौर शास्ति आरोपित की जावे व मौके से सामग्री को जब्त सरकार कर नीलाम किया जावे। आदेश की पालना भू-अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को व डिमाण्ड कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28-01-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं शामिल मिसल किया गया।

Jurat
28/01/22
तहसीलदार
मसूदा